कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14—अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928
दूरभाष : 0522—2288656 E-Mail-cehydelpcl@gmail.com

संख्या—222—अ—5/मु०अभि०(हा०)/2024 दिनांक—06.03.2024

परिपत्र

कारपोरेशन (मुख्यालय) के संज्ञान में आया है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत डिस्कॉमों के कुछ कार्यालयों द्वारा परिचालकीय संवर्ग/लिपिकीय संवर्ग/कला संवर्ग, डिस्कॉम में आमेलित पदों के कार्मिकों को निर्गत किए गए नियुक्ति पत्र में निम्न बिन्दु अंकित पाया गया है :—

"नियुक्ति के पश्चात् कर्मचारी का उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है।"

डिस्कॉम में कार्यरत परिचालकीय संवर्ग/लिपिकीय संवर्ग/कला संवर्ग के कार्मिकों का आमेलन उ०प्र० शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या—2662/24—पी—2—2008—61—एम०ई०/2000 टी०सी०, दिनांक 11.12.2008 (प्रति संलग्न) द्वारा अन्तिम रूप से किया जा चुका है। इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार परिचालकीय संवर्ग/लिपिकीय संवर्ग/कला संवर्ग डिस्कॉम में आमेलित संवर्ग हैं।

समस्त डिस्कॉमों द्वारा अपने अधीनस्थ सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाए कि यदि उनके द्वारा नवचयनित परिचालकीय संवर्ग/लिपिकीय संवर्ग/कला संवर्ग के कार्मिकों को जारी नियुक्ति पत्र में यदि उपर्युक्त बिन्दु अंकित किया गया हो, तो इस आशय का शुद्धि पत्र कि :—

"नियुक्ति के पश्चात् कार्मिक का स्थानान्तरण उनके आवंटित डिस्कॉम के अन्तर्गत ही किसी भी कार्यालय में किया जा सकता है।"

तत्काल निर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या—222—(1)—अ—5/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
2. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, सिविल लाइन्स, कानपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त परिपत्र को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
06/3/24
(सूरज पाल)
वैयक्तिक सहायक (तृतीय)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

सं0: 1930–प्रशि0–10 / पाकालि / 2008–8–प्रशि0–10 / 2003 TC | दिनांक : 12 दिसम्बर, 2008

विषय :– उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपकमों का अन्तरण) स्कीम–2003 के अन्तर्गत कार्मिकों के आमेलन के सम्बन्ध में।

3697
16/12/08

फैक्स

1. प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / केस्को–कानपुर।

2. अपर सचिव (का0प्र0–02) / (काविनी) / (अराजपत्रित) /
महाप्रबन्धक (औ0स0) / अपर विधि अधिकारी
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

3. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / संयुक्त सचिव (सचि0 प्रशासन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

महोदय,

उ0प्र0 शासन ने कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2662 / 24–पी–2–2008–61–एम0ई0 / 2000 TC-III दिनांक 11–12–2008 द्वारा उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपकमों का अन्तरण) स्कीम–2003 एवं उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपकमों का अन्तरण) (षष्टम संशोधन) स्कीम–2008 के अन्तर्गत समस्त संवर्गो के कार्मिकों के आमेलन / अन्तरण को दिनांक 11–12–2008 को अन्तिम कर दिया गया है।

उक्त आदेश की छायाप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथापरि।

भवदीय

(बाल कृष्ण भट्ट)
अपर सचिव (का0प्र0–01)

डै0 सं0 ... प्रशा0 अधि0 (मु0) / के0 ... सेवाधिकारी (के0) ... कार्मिक ... मु0 अ0 (ज0 वि0)

8-4/2-/2003
उत्तर प्रदेश शासन 80-174
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या–2662/24–पी–2–2008–61एम0ई0/2000–टी0सी0–
दिनांक: 11 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदे ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपक्रमों का अन्तरण) स्कीम–2003 की धारा 8(1) ए उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपक्रमों का अन्तरण) (षष्ठम संशोधन स्कीम–2008 की धारा 8(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके राज्य सरका द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण एवं आमेलन के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेश लि0, द्वारा लिये गये निर्णय जो निदेशक मण्डल की 75वीं बैठक दिनांक 17.10.200 में प्रस्तुत किया गया, कार्मिकों के उ0प्र0 पावर कारपेारेशन लि0, मध्यांचल विद्यु वितरण निगम लि0 लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निग लि0, आगरा में स्थायी रूप से स्थानान्तरण एवं आमेलन हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेश लि0, द्वारा गठित कार्मिक आमेलन समिति की संस्तुतियों एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए विचारित करके निर्ण लिया गया जो स्थानान्तरण एवं आमेलन हेतु निम्न शर्तों एवं निबन्धनों के अधीन होगा:–

(अ) अभियन्ता संवर्ग/लेखा संवर्ग के अधिकारी/कार्मिक संवर्ग/जन सम्पर्क संवर्ग/विधि संवर्ग/क्रीड़ा सवर्ग/प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग/अवर अभियन्ता संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग के सभी कार्मिक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मे आमेलित होंगे।

(ब) लेखा संवर्ग के कार्मिक (अधिकारियों को छोड़कर) का आमेलन संलग्न सूची में विर्निदिष्ट कार्मिक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में स्थायी रूप से आमेलित हो जायेंगे। शेष कार्मिक जिस वितरण निगम/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 जहाँ कार्यरत हैं वहाँ आमेलित माने जायेंगे। पूर्व में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के विभिन्न आदेशों के स्थानान्तरित कार्मिक नये तैनाती के वितरण निगम/ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में आमेलित माने जायेंगे।

(स) परिचालकीय संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग एवं कला संवर्ग के कार्मिकों जो, जहाँ कार्यरत हैं, वही आमेलित माना जायेगा। पूर्व में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के विभिन्न आदेशों के स्थानान्तरित कार्मिक नये तैनाती के वितरण निगम/ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मे आमेलित माने जायेंगे।

(द) संलग्न सूची के अतिरिक्त जो कार्मिक उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम एवं केस्को, कानपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं वे भी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की सेवाओं मे स्थायी रूप से आमेलित होंगे। परन्तु वे उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, जैसी भी स्थिति हो सम्बन्धित निगम के अग्रिम आदेशों के अर्न्तगत कार्य करते रहेंगे। उपरोक्त (अ) के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, में आमेलित कार्मिक जो वर्तमान में अन्य निगमों में तैनात है, वहाँ प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहेंगे।

(य) जिन कार्मिको का उल्लेख यदि उपरोक्त प्रस्तरों में नही है वे अपने वर्तमान तैनाती के वितरण निगम / उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मे आमेलित माने जायेंगे।

संलग्नकः यथोक्त।

प्रदीप शुक्ला
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांकः यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1— मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
3— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6— प्रबन्ध निदेशक (म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ) / (पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी) / (द0वि0वि0नि0लि0, आगरा) / (प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ) / केस्को, कानपुर।

आज्ञा से,

(आलोक टण्डन
सचिव।